न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 51/2022

1 अनिता उम्र 33 साल पुत्री अर्जुन पत्नी अशोक
2 प्रताप सिंह उम्र 47 साल पुत्र श्री झालाराम
3 प्रहलाद उम्र 43 साल पुत्र झालाराम
4 लीलाराम उम्र 61 साल पुत्र श्री मामला उर्फ मामराज
5 हरलाल उम्र 51 साल पुत्र श्री मामला उर्फ मामराज
सभी जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 6 सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 मृतक श्योचन्द पुत्र दुलीचन्द उम्र 80 साल – दौराने अपील मृत्यु
1/1 शान्ति देवी पत्नी श्योचन्द 80 साल जाति अहीर निवासी फिरोजा वाली ढाणी तन ढाणा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
1/2 होशियार सिंह पुत्र श्योचन्द उम्र 42 साल जाति अहीर निवासी फिरोजा वाली ढाणी तन ढाणा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
2 जगदीश पुत्र श्योचन्द उम्र 60 साल
3 लालचन्द पुत्र श्योचन्द उम्र 55 साल
4 बाबूलाल पुत्र श्योचन्द उम्र 50 साल
5 सुनिल कुमार पुत्र श्योचन्द उम्र 45 साल सभी जाति अहीर निवासी फिरोजा वाली ढाणी तन ढाणा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
6 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अ.धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 01.04.2022 न्यायालय उपखंड अधिकारी बुहाना उनवानी प्रकरण अनिता आदि बनाम श्योचन्द आदि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 जा.दी. मु.नं. .... / 2019

उपस्थिति :

1. श्री कमलेश, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र बुडानियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री दीपेन्द्र सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 6/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर .... / 2019 में पारित निर्णय दिनांक 01.04.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलांटस ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 655 / 356, 656 / 322 वाके ग्राम सिंघाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा कानून के बाहर जाकर यह आदेश पारित किया गया है अदालत का दायित्व है कि खातेदार काश्तकार के हितों की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

रक्षा अदालत करे अपीलान्ट रिकार्डेड टिनेन्ट है आज के दिन भूमि काश्त में दर्ज है न कि आबादी में, इसलिये विचारण न्यायालय ने किस आधार पर भूमि की किस्म परिवर्तन मानी अंकित नहीं किया। वादग्रस्त भूमि का कभी कोई व्यक्ति रिकार्डेड टिनेन्ट ही नहीं रहा, न कभी उसका कभी कोई कब्जा काश्त रहा ऐसे व्यक्ति जयनाराण के द्वारा उक्त भूमि को जरिये इकरारनामा बेचना बताया है जिसको की वादग्रस्त भूमि को जरिये इकरारनामा विक्रय करने का कानूनन कोई अधिकार ही नहीं था और उसी इकरारनामा विक्रय पत्र के आधार पर भूमि बिकना बताया व जो बिजली के बिल व पानी के बिल पेश हुये है उनके आधार पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा माना वो भी गलत है बिजली या पानी के बिल में वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर अंकित नहीं है वो पानी व बिजली के बिल कहां के है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा फर्जी भी तैयार करवाये जा सकते है यह सभी बिन्दू साक्ष्य के बिन्दू थे दावा में साक्ष्य होने के बाद यह बिन्दु तय किये जाने चाहिये थे जबकि विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में ही दावे का फैसला कर दिया। जो पूर्णतया विधि विरूद्ध होने उक्त निर्णय व आदेश खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला है सुविधा का संतुलन व अपार क्षति का बिन्दु अपीलान्ट के पक्ष में है परन्तु विचारण न्यायालय ने इस बाबत कोई फाईडिंग नहीं दी है विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने में गलती कानूनी की है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 01.04.2022 को निरस्त किय जाकर अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 को ताफैसला दावा पाबन्द फरमाया जावे कि जमीन जैर बहस खसरा नम्बर 655/356 व 656/322 कुल किता दो कुल रकबा 0.69 हैक्टेयर वाके कस्बा सिंघाना के कब्जे काश्त उपयोग, उपभोग में बाधा नहीं डाले ना ही इस भुमि अनाधिकृत प्रवेश करे, ना ही किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण करे ऐसा कृत्य न स्वयं करे न किसी से करवाये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज है किन्तु मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा जरिये इकरारनामा भूमि क्रय कर मकान/दुकान बनाकर आबाद है। कब्जे के संदर्भ में अप्रार्थीगण द्वारा विद्युत बिल व पानी के बिल प्रस्तुत किये गये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य से विवादित भूमि पर सघन आबादी बसी होना, विवादित भूमि कृषि जोत की भूमि नहीं होना एवं प्रार्थी अपीलांट का मौके पर कब्जा नहीं होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज है किन्तु मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा जरिये इकरारनामा भूमि क्रय कर मकान/दुकान बनाकर आबाद है। कब्जे के संदर्भ में अप्रार्थीगण द्वारा विद्युत बिल व पानी के बिल प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य से विवादित भूमि पर सघन आबादी बसी होना, विवादित भूमि कृषि जोत की भूमि नहीं होना एवं प्रार्थी अपीलांट का मौके पर कब्जा नहीं होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)